न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 285/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
रामाराम उर्फ रामलाल पुत्र सवाराम माली निवासी– नाकोडा,तहसील सिणधरी जिला बाडमेर।		1. मोहनसिंह पुत्र हेमदान 2. इन्द्रा चारण पत्नी मोहनसिंह चारण निवासी– चौसिरा (सणपा मानजी) तहसील सिणधरी,बाडमेर। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिणधरी जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.03.202 उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2021 अनवान मोहनसिंह बनाम रामाराम वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार, सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता की ओर से।
2–श्री भूषण सिंह चारण, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1,2 की ओर से ।
3–श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 20 जुलाई 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी की खेत ख0सं0 278/39 रकबा 0.0808 हैक्टर भूमि मौजा नाकोडा तहसील सिणधरी में आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। जिसके सेढा–सेढ अपीलार्थीगण के खेत आये हुए है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर अपीलान्टस द्वारा दखलदान्जी की जाती है और हर समय दोनों पक्षो के बीच में सीमा विवाद बना रहता है, इसलिये खसरान भूमि की नेखमबन्दी किया जाना आवश्यक होने से भूमि की नेखमबन्दी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये जो बाद तामील होकर प्राप्त हुए एवं अपीलार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब पेश किया। शेष अपीलार्थीगण अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर उपरोक्त खसरान भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया एवं उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस के सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख कर की जावे। साथ ही विवादित भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन तरमीम दुरूस्ती प्रकरण में यदि तरमीम दुरूस्ती होती है तो पत्थरगढी उक्त आदेश के अध्यधीन प्रभावित रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीनआदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपील के संलग्न प्रस्तुत म्याद प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया और तारीख नहीं रखी फिर पीछे की तारीख में निर्णय कर दिया जिसकी जानकारी समय पर अपीलान्टस को नहीं हो सकी। दिनांक 28.5.2022 को रेस्पोडेन्टस ने अपीलार्थी की तारबन्दी तोडने की कोशिश की तब कारण पूछने पर बताया कि उनके पक्ष में फेसला हो चुका है तब अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं अन्य दस्तावेजों की नकले प्राप्त करते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की है जिसे अन्दर म्याद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 111, 128 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए मनमाना आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी की भूमि ख0सं0 39/2 व रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा संख्या 278/39 के बीच में तारबन्दी माफिक आपसी बंटवाडा वर्षो पूर्व से की हुई है और आपसी बंटवाडा के तहत अपीलार्थी के हिस्से में भूमि ख0सं0 39/2 की भूमि आई और उसके चारो तरफ तारबन्दी व जाली लगी हुई है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक व दो के खाते में ख0सं0 39 की जो भूमि थी वह भूमि को भूखण्डों के रूप में रेस्पोडेन्ट ने वर्ष 2020 में ही हस्तान्तरित कर दिया। रेस्पोडेन्टस की सम्पूर्ण भूमि पर मौके पर सडके बनी हुई है तथा भूखण्डों के मुटाम लगे हुए व कुछ मकान भी बने हुए है। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस न तो उक्त भूमि का खातेदार है व न ही उक्त भूमि अब कृषि भूमि है। इस कारण धारा 128 के तहत उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं था। अपीलान्ट अपनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से काबिज है जो उसके माफिक बंटवाडें में प्राप्त हुई थी। इस प्रकार दोनों के बीच कोई सीमा विवाद ही नहीं है। रेस्पोडेन्टस ने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये गये थे। रेस्पोडेन्टस के खाते में ख0सं0 39 की जो 07 बीघा भूमि बंट में आई थी उस भूमि के बाद सडक स्थित है व उसके पश्चात रेस्पोडेन्टस की अन्य भूमि ख0सं0 36 स्थित है जिसका कुछ भाग सडक के स्थान पर हाइवे बन जाने के कारण उसमें चला गया, ऐसे में रेस्पोडेन्टस उक्त भूमि की भरपाई अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमेंबाजी करके करना चाहता है और इसी उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नक्शा त्रुटिपूर्ण था क्योंकि उसमें तरमीम आपसी विभाजन पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे अनुसार नहीं की गई मनमर्जी से कर दी गई जिसका फायदा रेस्पोडेन्ट उठाना चाहता है। अपीलार्थी को उक्त जानकारी होने पर उक्त नक्शे की दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पेश किया जो वर्तमान में लम्बित है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों प्रकार के प्रकरणों को हकफिता करते हुए ही एक साथ निर्णित किया जाना चाहिये था। परन्तु ऐसा न कर रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया और पत्थरगढी की

कार्यवाही को प्रार्थना पत्र संख्या 48/2021 के निर्णय के अधीन रखने का आदेश पारित कर दिया, इस प्रकार के आदेश पारित किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। अपीलार्थी के द्वारा अपील में मूल प्रार्थना पत्र में दर्ज अन्य व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके विरूद्ध कोई अनुतोष चाहा गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.3.2022 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेसपो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी की खेत ख0सं0 278/39 रकबा 0.0808 हैक्टर भूमि मौजा नाकोडा तहसील सिणधरी में आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। जिसके सेढा–सेढ अपीलार्थीगण के खेत आये हुए है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर अपीलान्टस द्वारा दखलदान्जी की जाती है और हर समय दोनों पक्षो के बीच में सीमा विवाद बना रहता है, इसलिये खसरान भूमि की नेखमबन्दी किया जाना आवश्यक होने से भूमि की नेखमबन्दी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये जो बाद तामील होकर प्राप्त हुए एवं अपीलार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाब पेश किया। शेष अपीलार्थीगण अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर उपरोक्त खसरान भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया एवं उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस के सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख कर की जावे। साथ ही विवादित भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन तरमीम दुरूस्ती प्रकरण में यदि तरमीम दुरूस्ती होती है तो पत्थरगढी उक्त आदेश के अध्यधीन प्रभावित रहेगी।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के प्रस्तुत जवाब में मुख्य एतराज यह रहा है कि अपीलार्थीगण द्वारा धारा 131, 136 लैण्ड रेवेन्य एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिससे मौजूदा प्रार्थना चलने योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट की ओर से अन्तर्गत धारा 111 व 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकारान के हकों को तय नहीं किया जाता, सिर्फ खेत की पैमाइश कर उसकी सीमाओं के पक्के नेखम (सीमाचिन्ह) अंकित किये जाने का प्रावधान है। रेस्पोडेन्टस अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। अपीलार्थीगण के द्वारा वर्षा के मौसम में सेढो को लेकर विवाद उत्पन्न किये जाने के कारण उसके निपटारा करवाने हेतु खेतों की पैमाइश कर वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ नेखम लगाने से अपीलार्थीगण को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अपीलान्टस द्वारा गलत तरमीम को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में विवाद खडा किया है ताकि रेस्पोडेन्ट अपने खेत की पैमाइश कर नेखम नहीं लगा पाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सीमा का विवाद होना बताया तथा रेस्पोडेन्टस को पक्के नेखमबन्दी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

करने का हकदार व स्वतंत्र माना है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखा जावे एवं अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.2022 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। जिससे यह पाया कि पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 5.10.2012 को तहसीलदार सिणधरी को बंटवारा प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया, नक्शा बंटवारा भी संलग्न पत्रावली है। सीमांकन/पैमाइश सम्बन्धी कार्यवाही बंटवारे के नक्शा तरमीम अनुसार की जानी है चूंकि बंटवारा प्रस्ताव अनुसार तरमीम न होने का कथन किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र सुनवाई में है। अतः तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये जाने तक सीमांकन/पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2022 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर